# दिनांक–01.08.2024 को अपराह्न 12:30 बजे माननीय शिक्षा मंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में परिषद के सभागार कक्ष में आहूत बैठक की कार्यवाही।

बैठक में परिषद सदस्यों की निम्नवत् उपस्थित रही :–

1. श्री सुनील कुमार, माननीय शिक्षा मंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना।
2. डॉ० कामेश्वर झा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना।
3. श्री बैद्यनाथ यादव (भा०प्र०से०), सदस्य सचिव–सह–राज्य परियोजना निदेशक सह सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. प्रो0 अजय कुमार सिंह, कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
5. प्रो0 श्यामा राय, कुलपति, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर।
6. प्रो0 रेखा कुमारी, निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
7. श्री रमाशंकर सिंह, उप निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना।
8. श्री संजय कुमार सिंह, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग (प्रतिनिधि वित्त विभाग), बिहार पटना।
9. श्री रमेश चन्द्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–सहायक निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, पटना।

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की तृतीय बैठक माननीय शिक्षा मंत्री–सह–अध्यक्ष श्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में दिनांक–01.08.2024 को सम्पन्न हुई। बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा सचिव–सह–राज्य परियोजना निदेशक द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना एवं अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए Power Point Presentation के माध्यम से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को दी गयी राशि एवं उस राशि से किए गए कार्यो एवं प्रगति से सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। इसके पश्चात् प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए उनके द्वारा स्पष्टकिया गया कि इसके तहत बिहार राज्य के 19 जिलों को फोकस जिला के रूप में चिन्हित किया गया है। फोकस जिला को चिन्हित करने से संबंधित पैमानों से भी सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। यह भी बताया गया कि भारत सरकार उच्च शिक्षा विभाग से PM-USHA के कार्यान्वयन के लिए MoU किया गया है। PM-USHA के विभिन्न Component के बारे में भी विस्तार से प्रकाश डाला गया।

सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अधिनियम, 2018 की कंडिका 11 में परिषद की शक्तियों एवं कृत्य पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है।

उपाध्यक्ष, डॉ० कामेश्वर झा द्वारा अपने संबोधन में मा० शिक्षा मंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना एवं परिषद के अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए शिक्षा में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सुझाव दिया गया।

माननीय शिक्षा मंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि नई शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में समता (Equity), पहुँच (Access) एवं गुणवत्ता (Quality) युक्त शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वर्ग कक्ष के भीतर एवं बाहर भी शिक्षा का वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि वे उत्कृष्ट शिक्षा के लिए स्वयं जागरूक रहे। माननीय शिक्षा मंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा शोध पर बल देते हुए सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा इस पर विशेष कार्य किया जाना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों का शैक्षणिक सत्र एवं परीक्षा समय से संचालित हो। उन्होंने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा में पारदर्शिता एवं स्वच्छता के लिए ऑनलाईन परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि BITS पिलानी द्वारा Online परीक्षा लिया जाता है तथा परीक्षा के दो घंटा के भीतर परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया जाता है। उसी प्रकार पटना विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को भी उस दिशा में छात्रहित में सार्थक प्रयास करना चाहिए।

परिषद के द्वारा किए जाने वाले कार्यो के लिए प्राथमिकता निर्धारण करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा निदेश दिया गया।

**बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–**

**एजेन्डा–01**

**गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि–**

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की गत बैठक दिनांक–19.09.2023 के सम्पूर्ण कार्यवाही को सम्पुष्ट किया गया।

**एजेन्डा–02**

**गत बैठक के निर्णय का अनुपालन–**

गत बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की समीक्षा की गयी एवं विगत बैठक में लिये गये निर्णय के तहत Unified Management Information System (UMIS)के स्थान पर इससे बेहतर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आधारित "SAMARTH" पोर्टल को बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लागू करने पर सहमति बनी।

**UMISके स्थान के स्थान पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित एकीकृत "SAMARTH" पोर्टल को बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना द्वारा लागू करने के संबंध में।**

राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उनके स्तर से विकसित किये गए MIS संचालित है, जिसमें एकरूपता का अभाव है। ऐसी स्थिति में राज्य स्तर पर उच्चतर शिक्षण संस्थानों से संबंधित Common Data Base निर्मित नहीं हो पाया है, जिससे राज्य स्तर पर नीति निर्धारण तथा संस्थानों से विश्वसनीय ऑकड़ो की उपलब्धता में हो रही कठिनाईयों को दूर करने, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं स्पष्ट नीति निर्धारण के उद्देश्य से राज्य स्तर पर "UMIS" का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया तथा इसके लिए अप्रैल, 2022 एवं दिसम्बर, 2023 में निविदा आमंत्रित की गयी परन्तु निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

उपर्युक्त स्थिति में "UMIS" के स्थान पर समरूप कार्यो यथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डाटा बेस तैयार करने, गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने, नामंकन प्रक्रिया को पारदर्शी तथा सुगम बनाने एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधि के लिये शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित एकीकृत ऐप्लीकेशन सोफ्टवेयर "SAMARTH" पोर्टल को बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लागू करने से राज्य के छात्रों के पंजीकरण से लेकर सभी जरूरी जानकारियाँ एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकेगी।

"SAMARTH" शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उच्च संस्थानों (एच.ई.आई.) के छात्रों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए सेवाओं की योजना, प्रबंधन, प्रस्तुति और निगरानी के लिए एक डिजिटल ढांचा को सक्षम करना है। परियोजना के तहत, उच्च शिक्षा संस्थानों को देश के HEIs के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए एकीकृत पोर्टल, Cloud- आधारित, सामग्री ERP प्रदान की जाती है। समर्थ के 5 मुख्य पहलुओं (Employee Related, Academics and Student Related, Finance, Accounts and Supply Related, For decision support in overall governance) में 40 से भी अधिक मॉडल जैसे Programme Management, Admissions and Enrolment, Fee Portal, Students Fee management, Budget & Accounts, Grievance management, IT Service Desk Management, Asset and Inventory Management, Certificate Management, Training and Placement, Student Feedback, Evaluation & Grading (Pre-Post, Exam) आदि की सुविधा है।

इस संबंध में सरकार के सभी पारम्परिक विश्वविद्यालयों में "SAMARTH" को लागू करने हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एवं समर्थ के साथ दिनांक–15 अप्रैल, 2024 को एम.ओ.यू (MoU) किया जा चुका है।

यद्यपि पोर्टल के निर्माण एवं उसके उपयोग के लिए मंत्रालय द्वारा निःशुल्क सुविधा एवं सहयोग प्रदान किया जा रहा है परन्तु "SAMARTH" को शुरूआती दौर में बेहतर ढंग से लागू करने हेतु तकनीकी मैनपावर सपोर्ट सिस्टम को स्थापित करने की आवश्यकता है। मानव बल उपलब्ध करने हेतु एजेन्सी के चयन हेतु RFP तैयार कर निविदा प्रकाशित की जा चुकी है।

सभी विश्वविद्यालय में यू0एम0आई0एस0 लागू करने हेतु शिक्षा विभाग के ज्ञापांक–15/एम 1–146/2021–161 दिनांक– 10.02.2022 के द्वारा 08 करोड़ स्वीकृत राशि में 04 करोड़ रूपये बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त राशि को समर्थ पोर्टल के लिये उपयोग किया जायेगा।

उपर्युक्त स्थिति में UMIS के स्थान पर समर्थ (SAMARTH) पोर्टल के उपयोग एवं अन्य कार्रवाई करने के प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

**एजेन्डा–04**

**बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना में अभियंत्रण कोषांग के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति।**

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना में अभियंत्रण कोषांग के गठन के लिए शिक्षा विभाग के पत्रांक 4740 दिनांक 21.12.2023 के आलोक में रखे गये कर्मियों के सन्दर्भ में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

निर्माण संबंधी असैनिक कार्य मूख्य रूप से बी0एस0ई0आई0डी0सी0 स्तर से किया जाना है, इसे देखते हुये परिषद में सेवा प्रदान कर रहे अभियंत्रण कोषांग के इन अभियंताओं की सेवा PM- USHA से संबंधित विभिन्न घटकों के आकड़ों को पोर्टल पर प्रविष्टि हेतु तकनीकि मूल्यांकन आदि में सहयोग के निमित अधिकतम तीन माह (31.10.2024) के लिये प्राप्त की जायेगी। अभियंत्रण कोषांग के इन अभियंताओं की सेवा प्राप्त करने के संबंध में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना में आवश्यकता के आधार पर/अभियंताओं की संख्या बल में वृद्धि किये जाने की स्थिति में विचार किया जा सकेगा।

PM- USHA के क्रियान्वयन हेतु परिषद् में TSG (Technical support group) के गठन में तकनीकि एवं लेखा विशेषज्ञ सहित अन्य उपयुक्त कार्मिकों को समाहित करने का निर्णय लिया गया।

**एजेन्डा–05**

**बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना के कार्यालय का विस्तार।**

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना के कार्यालय के विस्तार हेतु बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड, पटना को लगभग 2000 वर्ग फीट जमीन कर्णांकित करने के लिए कहा गया था। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक–2607, दिनांक– 24.07.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि इस सन्दर्भ में अभी तक कोई औपचारिक सहमति नहीं प्राप्त हुयी है।

**एजेन्डा–06**

**संविदा पर नियोजित सेवानिवृत पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर महंगाई भत्ता में की जाने वाली वृद्धि का लाभ देने के संबंध में।**

इस प्रस्ताव को वापस लिया गया।

**माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्यान्य :–**

1. बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना के कार्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत प्रोग्रामर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, MTS, सुरक्षा प्रहरी तथा सफाई कर्मी कार्यरत हैं। इनको दिए जाने वाले मानदेय की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त इन सभी कर्मियों को देय मानदेय में GST एवं सर्विस चार्ज सम्मिलित होने के कारण जो राशि प्राप्त होती है, वह लगभग 20–25 प्रतिशत तक के अंतर को प्रदर्शित करती है। तदालोक में निर्धारित राशि पर GST एवं सर्विस चार्ज का अतिरिक्त भुगतान एजेन्सी को करने का निर्णय लिया गया।
2. University Service से OSD Academic & Academic Officer के स्वीकृत पद पर नियुक्ति/प्रतिनियोजन की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।
3. परिषद के शेष स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्णय लिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

**(सुनील कुमार)**
मा० शिक्षा मंत्री–सह–अध्यक्ष,
बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद,
पटना

**ज्ञापांकः**–SHEC/Council Meet/22/2015-PART-I-450 पटना, दिनांकः 16/08/2024

**प्रतिलिपिः–** उपाध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना/माननीय शिक्षा मंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, पटना के आप्त सचिव/कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना/कुलपति, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, पटना एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**(बैद्यनाथ यादव)**
सदस्य सचिव–सह–राज्य परियोजना निदेशक,
बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना।